






न्यायालय जिला कलकटर-नागौर

राज्य अपील नं. 119/2022
नम्बर 315 तहसीलदार नागौर
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
तारीख
जो इस हुकम
की तारीख से
जारी हुए

तारीख हुकम	वकूलाय उपर। वकील अपीलान्ट ने बहस हेतु अवसर चाहा, जो (पत्रावली दिनांक 23/8/22 को पेश हो)
10/8/22	वकूलाय उपर। वकील अपीलान्ट ने बहस हेतु अवसर चाहा, जो (पत्रावली दिनांक 23/8/22 को पेश हो) 
23/8/22	वकूलाय उपर। P.O लाहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 1/9/22 को पेश हो। 
1/9/22	वकूलाय उपर। वकील अपीलान्ट ने बहस हेतु अवसर चाहा, बहस हेतु वकील अपीलान्ट को बार-बार अवसर दिये जा चुके हैं। अब-आम हित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14.9.22 को पेश हो। 
14/9/22	वकूलाय उपर। P.O लाहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/9/22 को पेश हो। 
28/9/22	राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया उपस्थित। अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट को बार-बार एवं रूक-रूक कर न्यायालय समय समाप्ति तक आवाजे लगवाई गई, परन्तु अपीलान्ट अथवा वकील अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जायें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  (पीयूष समारिया) जिला कलकटर, नागौर